भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3193

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आईरिस बायोमेट्रिक्स छूट

3193. श्री दुरई वाइको:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार कार्ड नामांकन के लिए मौजूदा बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश में मानसिक बीमारी/तंत्रिका-विकृति विकार (विशेषकर ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम वाले बच्चे) वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आईरिस बायोमेट्रिक्स प्रदान करने से छूट दी गई है, क्योंकि इससे ऐसे व्यक्तियों में क्लौस्ट्रोफोबिया, सांस लेने में तकलीफ आदि सहित मानसिक/शारीरिक बेचैनी और भय पैदा हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आधार कार्ड नामांकन प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों को आईरिस बायोमेट्रिक्स के संबंध में बायोमेट्रिक अपवाद संबंधी दिशानिर्देशों के बारे में पूरी तरह से जागरूक करने के लिए अपनाई गई प्रणाली क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से आईरिस बायोमेट्रिक्स प्रदान करने से छूट देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : लाभों और सेवाओं के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं की पहुंच को समावेशित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने विनियमों, नामश: आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में विशेष प्रावधान किया है और बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं जिनकी उंगलियां गायब हैं तथा जिनकी उंगलियों, पुतलियों या दोनों के बायोमेट्रिक्स किसी भी कारण से कैप्चर नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति जो अपना फिंगरप्रिंट नहीं दे सकता है, वह केवल अपनी पुतलियों को स्कैन करके नामांकन कर सकता है । इसी तरह, एक पात्र व्यक्ति जिसकी पुतलियों के बायोमेट्रिक्स किसी भी कारण से कैप्चर नहीं किए जा सकते हैं, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा, एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और पुतली, दोनों के बायोमेट्रिक्स उपलब्ध कराने में असमर्थ है और उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि कोई पात्र व्यक्ति मानसिक बीमारी/न्यूरोडायवर्जेंट विकारों

(ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम वाले बच्चों सहित) के कारण बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए श्वेतसूची नामांकन का प्रावधान है, जहाँ आधार नामांकन एक निर्दिष्ट यूआईडीएआई अधिकारी की उपस्थिति में किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरता है, उसे बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में किसी भी असमर्थता के बावजूद आधार संख्या जारी की जा सकती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधार नामांकन संचालक इस बात से अवगत हैं कि दिव्यांग व्यक्ति जो बायोमेट्रिक जानकारी देने में असमर्थ हैं, वे किस तरह आधार संख्या जारी करवा सकते हैं, यूआईडीएआई ने आधार नामांकन संचालक के रूप में प्रमाणन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी ऑनलाइन पुस्तिका में अपवाद नामांकन प्रक्रिया को शामिल किया है । इसके साथ ही यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी द्वारा परीक्षण और प्रमाणन के लिए परीक्षा संरचना में भी अपवाद नामांकन प्रक्रिया को शामिल किया है। यूआईडीएआई ने सभी रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों को दिनांक 8.12.2023 को एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आधार नामांकन संचालक अपवाद नामांकन प्रक्रिया से अवगत हों, वे उसका पालन करें और ऐसे नामांकन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें तथा उन्हें इस संबंध में संचालकों के नियमित प्रशिक्षण आयोजित करने की सलाह दी गई।

******